सत्यमेव जयते

कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्तपोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना के लिए

योजना दिशा-निर्देश

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

तालिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ
1	परिचय	
2	योजना का औचित्य	
3	योजना के उद्देश्य	
4	योजना का कार्यान्वयन काल	
5.	सरकारी बजट सहायता	
6.	पात्र परियोजनाएँ	
7.	वित्तपोषण सुविधा और पात्र लाभार्थियों का आकार	
8.	भाग लेने वाली संस्थाएँ	
9.	पुनर्वित्त	
10.	उधार दर की ऊपरी सीमा	
11	परियोजना प्रबंधन और हैंडहोल्डिंग समर्थन	
12.	अभिसरम	
13.	योजना का पुनरीक्षण	
14	निगरानी की रूपरेखा	
15	आउटपुट और परिणाम निगरानी फ्रेमवर्क (ओओएमएफ)	
16	पीएफएमएस के साथ संबंध	
17	पात्र उधारकर्ता के चयन के लिए मानदंड	
18	वीजीएफ की आवश्यकता	
19	सेक्टर विशिष्ट फोकस	
20	राज्य विशिष्ट फोकस	

'कृषि अवसरंचना निधि' के तहत वित्तपोषण सुविधा के केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के लिए योजना के दिशा-निर्देश

1. **भूमिका**

कृषि विकास और उत्पादन की गति को अगले स्तर तक ले जाने के लिए अवसंरचना की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह केवल अवसंरचना के विकास के माध्यम से होता है, विशेष रूप से फसलोपरांत स्तर पर कि उपज का उपयोग मूल्य संवर्धन के अवसर और किसानों के लिए उचित सौदे के साथ बेहतर रूप से किया जा सकता है। ऐसी अवसंरचना का विकास प्रकृति की अनियमितताओं, क्षेत्रीय विषमताओं, मानव संसाधन के विकास और हमारे सीमित भूमि संसाधन की पूर्ण क्षमता के उपयोग का भी समाधान करेगा।

उपरोक्त के मद्देनजर, माननीय वित्त मंत्री ने दिनांक 15.05.2020 को किसानों के लिए फार्म-गेट आधारभूत अवसंरचना हेतु 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि की घोषणा की। फार्म-गेट एवं समेकन केन्द्र (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ, किसान उत्पादक संगठन, कृषि उद्यमी, स्टार्ट-अप आदि) पर कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सुविधा प्रदान की जाएगी। फार्म-गेट और समेकन केन्द्र के लिए, सस्ती और वित्तीय रूप से व्यवहार्य फसलोपरांत अवसंरचना प्रबंधन के विकास के लिए प्रोत्साहनवर्धक है।

तदनुसार, डीएसीएंडएफडब्ल्यू ने प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक खेती की परिसंपत्तियों से संबंधित व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-दीर्घावधि ऋण सुविधा को संगठित करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना तैयार किया है।

2 योजना का औचित्य

कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ भारत की कुल जनसंख्या के ~58% के लिए आय का प्राथमिक स्रोत हैं। ~85% किसान छोटी जोत वाले (एसएचएफ) हैं जिनके पास खेती के तहत 2 हेक्टेयर से कम भूमि है और ~45% कृषि भूमि का प्रबंधन करते हैं। इसके अलावा भारत में किसानों को मंडी से जोड़ने के लिए सीमित बुनियादी ढांचा है और इसलिए 15-20% उपज बर्बाद हो जाती है जो कि अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है जहां यह 5-15% के बीच है। भारत में कृषि में निवेश पिछले 5 वर्षों में 2% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से कम पर स्थिर रहा है। वित्तीय वर्ष 2017 में निवेश~2.19 लाख करोड़ रुपए था जिसमें निजी क्षेत्र का हिस्सा~83% था, वित्त वर्ष 2014 में ~ 2.50 लाख करोड़ रुपए उच्च निवेश और निजी क्षेत्र का उच्च शेयर ~ 88% था। इसके अलावा निवेशकों के आत्मविश्वास की कमी के कारण हल अनुपात (वित्त वर्ष 2018 में सकल मूल्यवर्धन का ~14%) बनाम अन्य क्षेत्र (वित्त वर्ष 2018 में सकल मूल्य संवर्धन का ~33%) कम है।

3 योजना का उद्देश्य

देश में कृषि अवसंरचना में सुधार के क्रम में प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक खेती की संपत्ति के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम - दीर्घकालिक ऋण वित्त सुविधा को संगठित करना। इस वित्तपोषण सुविधा का कृषि पारिस्थितिकीय प्रणाली में सभी हितधारकों के लिए कई उद्देश्य होंगे।

क. किसान (एफपीओ, पैक्स, विपणन सहकारी समितियां, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां सहित)

- किसानों को सीधे उपभोक्ताओं की एक बड़ी संख्या तक अपने उत्पाद बेचने की अनुमति देने के लिए विपणन अवसंरचना में सुधार और इस प्रकार किसानों के मूल्य प्राप्ति में वृद्धि होगी। इससे किसानों की समग्र आय में सुधार होगा।

- लॉजिस्टिक्स अवसंरचना में निवेश के साथ, किसान फसलोपरांत हानियों को कम करने में समर्थ होंगे और बिचौलियों की संख्या में कमी आएगी। यह आगे किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगा और उनकी बाजार तक पहुंच में सुधार करेगा।
- आधुनिक पैकेजिंग और शीत भंडारण प्रणाली के पहुंच के साथ, किसान आगे यह तय करने में सक्षम होंगे कि बाजार में अपने उत्पाद को कब बेचा जाए और इससे उनकी आय में सुधार होगा।
- बेहतर उत्पादकता और आदानों के अनुकूलन के लिए सामुदायिक खेती की परिसंपत्ति के परिणामस्वरूप किसानों को काफी बचत होगी।

ख. सरकार

- सरकार ब्याज छूट, प्रोत्साहन और ऋण गारंटी के माध्यम से सहायता करते हुए वर्तमान में गैर-महत्वपूर्ण परियोजनाओं में प्राथमिक क्षेत्र की ऋण देने में सक्षम होंगे। यह कृषि में नवाचार और निजी क्षेत्र के निवेश के चक्र की शुरुआत करेगा।
- फसलोपरांत अवसंरचना में सुधार के कारण, सरकार आगे राष्ट्रीय खाद्य अपव्यय प्रतिशत को कम करने में सक्षम होगी जिससे कृषि क्षेत्र वर्तमान वैश्विक स्तरों के साथ प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम होगा।
- केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियां या स्थानीय निकाय कृषि अवसंरचना में निवेश को आकर्षित करने के लिए व्यवहार्य पीपीपी परियोजनाओं को बनाने में सक्षम होंगे।

ग. कृषि उद्यमी और स्टार्टअप

- निधियों के समर्पित स्रोत के साथ, उद्यमी आईओटी, एआई आदि सहित नए युग की प्रौद्योगिकियों का लाभ लेकर कृषि क्षेत्र में नवाचार करने के लिए जोर देंगे।

- यह पारिस्थिकी तंत्र में कार्यकर्ताओं को भी जोड़ेगा तथा अतः उद्यमियों एवं किसानों के बीच सहयोग के लिए मार्ग में सुधार करेगा।

घ. बैंकिग पारिस्थितिकी तंत्र

- ऋण गारंटी के साथ प्रोत्साहन राशि और ब्याज छूट देने वाले संस्थान कम जोखिम के साथ उधार दे सकेंगे। यह योजना उनके उपभोक्ता आधार और पोर्टफोलियों के विविधिकरण को बढ़ाने में सहायता करेगी।
- पुनःवित्त सुविधा सहकारी बैंकों तथा आरआरबी के लिए बड़ी भूमिका निभाएगी।

ङ. उपभोक्ता

- फसलोपरांत पारिस्थितिकी तंत्र में कम हुई अक्षमताओं के साथ उपभोक्ताओं के लिए प्रमुख लाभ मंडी में पहुंच रहे उत्पाद का बड़ा हिस्सा होगा और इसलिए बेहतर गुणवत्ता और मूल्य मिल सके। कुल मिलाकर कृषि अवसंरचना में वित्तीय सुविधा के माध्यम से निवेश सभी पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाएगा।

4. योजना की कार्यान्वयन अवधि

यह योजना वर्ष 2020-21 से 2029-30 प्रचालन में होगी। प्रथम वर्ष 10000 करोड़ रुपए तथा अगले तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष में 30000 करोड़ रुपए की स्वीकृति देने के साथ चार वर्षों में संवितरण। इस वित्तीय सुविधा के तहत पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 2 वर्षों के अध्यधीन भिन्न हो सकती है।

5. सरकारी बजटीय सहायता

बजटीय सहायता पीएमयू की प्रशासनिक लागत के साथ ब्याज छूट एवं ऋण गारंटी के लिए प्रदान की जाएगी। विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	संघटक का नाम	मानदंड
1.	ब्याज छूट लागत	वित्तपोषण सुविधा के तहत 2 करोड़ रुपए की सीमा तक सभी ऋण 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज छूट पर होगी। यह

		छूट अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए होगा। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा ऋण के मामले में तब ब्याज छूट 2 करोड़ रुपए तक सीमित होगी। कुल वित्तपोषण सुविधा से निजी उद्यमियों के लिए निधिकरण की सीमा एवं प्रतिशत राष्ट्रीय निगरानी समिति द्वारा निर्धारित की जा सकती है।
2.	ऋण गारंटरी लागत	2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम योजना हेतु ऋण गारंटी निधि संस्था (सीजीटीएमएसई) के तहत इस वित्तपोषण सुविधा से पात्र उधारकर्ताओं के लिए ऋण गारंटी कवरेज उपलब्ध होगा। इस कवरेज के लिए शुल्क सरकार द्वारा अदा किया जाएगा। एफपीओ के मामले में ऋण गारंटी डीएसीएंडएफडब्ल्यू के संवर्धन योजना एफपीओ के तहत सृजित सुविधा से प्राप्त की जा सकती है।
3.	पीएमयू की प्रशासन लागत	डीएसीएंडएफडब्ल्यू के तहत किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति योजना को केंद्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर पीएम-किसान की राज्य पीएमयू को पीएमयू सहायता प्रदान करेगी। ज्ञान भागीदारों की सेवाएं लक्ष्य परियोजनाओं के लिए निर्यात क्लस्टरों तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं में अंतराल सहित क्लस्टरों की पहचान करने के लिए लगाई जाएंगी तथा लाभार्थियों की सहायता करने के लिए व्यवहार्य परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएंगी।

6. पात्र परियोजनाएं

यह योजना मूल्य श्रृंखला की स्थापना तथा प्रमुख तत्वों के आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करेगी। जिसमें शामिल है:

(क) फसलोपरांत प्रबंधन परियोजनाएं जैसे:

(i) ई-विपणन प्लेटफॉर्म सहित आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं
(ii) वेयरहाउस
(iii) सिलोस
(iv) पैक हाउस
(v) जांच इकाइयाँ
(vi) छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयां

(vii) शीत श्रृंखला
(viii) लॉजिस्टिक सुविधाएं
(ix) प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र
(x) पकाई केंद्र

(ख) सामुदायिक खेती परिसंपत्ति के निर्माण के लिए व्यवहार्य परियोजनाएं जिसमें निम्निलिखित शामिल हैं।

(i) जैविक आदानों का उत्पादन
(ii) जैव-उत्प्रेरक उत्पादन इकाई
(iii) सक्षम एवं सटीक कृषि के लिए अवसंरचना
(iv) निर्यात कलस्टरों सहित फसलों के कलस्टरों के लिए आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना प्रदान करने हेतु चिन्हित परियोजनाएं
(v) पीपीपी के अंतर्गत सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण अथवा फसलोपरांत प्रबंधन परियोजनाओं हेतु केन्द्रीय/राज्य/स्थानीय सरकारों अथवा उनकी एजेंसियों द्वारा प्रोत्साहित परियोजना।

7. वित्तपोषण सुविधा तथा पात्र लाभार्थियों का आकार

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राथमिक कृषि-ऋण समितियों (पीएसीएस), विपणन सहाकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसानों, संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी), बहुउद्देश्य सहकारी समितियों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप तथा केन्द्र/राज्य एजेंसी अथवा स्थानीय निकाय द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक/निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रूपये प्रदान किया जाना।
पीएसएस जिन्होंने अपने प्रचालनों के लिए डिजिटाइजेशन को अपनाया है, उन्हें स्कीम के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाएगी।

8. भागीदारी करने वाली संस्थाएं

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), लघु वित्तीय बैंक, गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) और राष्ट्रीय सहकारी विकास बैंक (एनसीडीसी) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)/डीएसीएंडएफडब्ल्यू के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद इस वित्तीय सहायता को प्रदान करने में सहभागी बन सकते हैं।

9. पुन: वित्तपोषण

यदि अपेक्षित हो, नाबार्ड सहकारी बैंकों एवं आरआरबी सहित ऋण देने वाली सभी पात्र संस्थाओं को आवश्यकता के आधार पर पुनः वित्तपोषण की सहायता प्रदान करेगा।

10. उधार दर पर ऊपरी सीमा लगाना

उधार देने वाली संस्थाओं के साथ उचित परामर्श करके ऋण देने वाली भागीदार संस्थाओं के लिए उधार दर निर्धारित की जाएगी और इसे सभी हितधारकों के लिए परिचालित किया जाएगा। उधार देने वाली संस्थाएं स्कीम के कार्यान्वयन हेतु डीएसीएंडएफडब्ल्यू/नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगी। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के साथ डीएसीएंडएफडब्ल्यू/नाबार्ड द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर इस उद्देश्य से किया जाएगा कि नाबार्ड उचित रीति से उधार दर पर ऊपरी सीमा लगाने पर चर्चा करेगा।

11. परियोजना प्रबंधन एवं हैंडहोल्डिंग सहायता

सूचना एवं ऋण-संस्वीकृति की सुविधा प्रदान करने के लिए उधार देने वाली भागीदार संस्थाओं के समन्वय से एक ऑनलाइन प्लेटफार्म तैयार किया जाएगा। कृषि अवसंरचना निधि का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन एमआईएस प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी। यह सभी अर्हक संस्थाओं को निधि के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन देने में सक्षम बनाएगा। इस तंत्र से विभिन्न बैंकों द्वारा प्रस्तावित ब्याज दरों की पारदर्शिता, ब्याज छूट सहित स्कीम का विवरण तथा प्रस्तावित ऋण गारंटी, न्यूनतम दस्तावेजीकरण, शीघ्र अनुमोदन प्रक्रिया के साथ अन्य स्कीमों के लाभों का समेकन जैसे लाभ भी प्राप्त होंगे। पार्श्वांत पर, यह प्लेटफार्म कुल संस्वीकृत राशि तथा उधारकर्ताओं की संख्या, उपभुक्त कुल ब्याज छूट का लाभ, ऋण विवरण का सारांश, उधार लेने वाले एवं परियोजनाओं के प्रकार का जनसांख्यिकीय व भौगोलिक मिश्रण की निगरानी के लिए जिला; राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय पीएमयू डैशबोर्ड के विभिन्न दृष्टिकोण भी प्रदान करेगा।

डीएसीएंडएफडब्ल्यू के अंतर्गत किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति केन्द्र स्तर पर स्कीम के लिए पीएमयू सहायता प्रदान करेगी और राज्य पीएमयू राज्य स्तर पर पीएम-किसान के लिए सहायता प्रदान करेगी। परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्यात कलस्टरों सहित कलस्टरों तथा आपूर्ति श्रृंखला में कमी की पहचान करने और लाभार्थियों के सहयोग हेतु व्यवहार्य परियोजनाएं तैयार करने जानकार सहयोगियों की सेवाएं के लिए ली जाएंगी। केन्द्र एवं राज्य पीएमयू द्वारा लाभार्थियों एवं उधार देने वाली संस्थाओं के मार्गदर्शन हेतु निर्देशित इकाई लागतों के साथ परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएंगी। ऐसी परियोजना रिपोर्ट ऑनलाइन प्लेटफार्म पर उपलब्ध होगी।

12. **अभिसरण** - केन्द्र/राज्य सरकार के किसी वर्तमान अथवा भविष्य की स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध किसी अनुदान अथवा राजसहायता का लाभ इस वित्त पोषण सुविधा के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए लिया जा सकता है। पूंजीगत राजसहायता के मामले में, ऐसी धनराशि को प्रोमोटर का अंशदान माना जाएगा। हालांकि परियोजना लागत की न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि प्रोमोटर के अंशदान के लिए अनिवार्य होगी।

13. स्कीम में संशोधन

व्यय विभाग द्वारा 20,000 करोड़ रूपय का वितरण हो जाने के पश्चात स्कीम का पुनरीक्षण मूल्यांकन एवं मध्यावधि संशोधन हेतु यदि अपेक्षित हो, किया जाएगा। इंड-लाइन मूल्यांकन के अतिरिक्त स्कीम का तृतीय पक्ष द्वारा समवर्ती/मध्यावधि स्वतंत्र मूल्यांकन, जब कभी भी अपेक्षित हो, किया जाएगा।

14. निगरानी की रूपरेखा

राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय निगरानी समितियां होंगी जो प्रस्तावित स्कीम के कार्यान्वयन का वास्तविक समय प्रबोधन करने के साथ ही प्रभावी फीडबैक सुनिश्चित कराएंगी। इन समितियों का गठन **अनुबंध-क** के अनुसार किया जाएगा।

इस निधियन सुविधा के अंतर्गत सृजित सभी परिसंपत्तियों पर जियो टैगिंग की जाएगी। जिला प्रबोधन समिति और संबंधित ऋणदाता संस्थान यह सुनिश्चित करेंगी कि ऐसे जियो टैगिंग की गई परिसंपत्तियों संबंधी अद्यतित सूचना ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध हो।

15. आउटपुट और आउटकम निगरानी की रूपरेखा **(ओओएमएफ)**

आउटपुट और आउटकम प्रबोधन ढांचा (ओओएमएफ) **(अनुबंध-ख)** प्रबोधन प्रणाली का हिस्सा होगा और आउटकम आकलन संकेतकों का आवधिक आधार पर डीएलएमसी, एसएलएमसी और एनएलएमसी द्वारा प्रबोधन किया जाएगा।

16. पीएफएमएस के साथ लिंकेजेज

ब्याज रियायत और ऋण गारंटी सहयोग पीएफएमएस के माध्यम से बैंकों और ऋणदाता संस्थाओं को जारी किया जाएगा।

इस स्कीम के तहत लाभग्राहियों को ऋणदाता संस्थाओं द्वारा निधियों का संवितरण आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जाएगा।

17. पात्र ऋणग्राहकों के चनय संबंधी मानदंड

ऋणदाता संस्थाएं नाबार्ड और प्रबोधन समितियों, पीएमयू के साथ परामर्श करके और परियोजनाओं की अर्थक्षमता को ध्यान में रखकर और एनपीए से बचाव करते हुए पात्र ऋणग्राहकों के चयन संबंधी मानदंडों का निर्णय करेंगी।

18. वीजीएफ अपेक्षा

यदि केंद्रीय/राज्य/स्थानीय निकायों द्वारा वीजीएफ अपेक्षा को दर्शाया जाता है तो पीपीपी के लिए डीईए द्वारा विनिर्धारित मानदंडों का पालन किया जाएगा।

19. क्षेत्र विशिष्ट फोकस

स्कीम के अंतर्गत कुल सहायता अनुदान का 24 प्रतिशत अजा./अ.ज.जा उद्यमियों के लिए उपयोग किया जाएगा (अजा. के लिए 16 प्रतिशत और अ.ज.जा. के लिए 8 प्रतिशत)। इसके अतिरिक्त ऋणदाता संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के उद्यमियों का पर्याप्त कवरेज हो जिन्हें प्राथमिकात के आधार पर ऋण प्रदान किया जाए ताकि स्कीम के कार्यान्वयन का लाभ समावेशी सुनिश्चित हो और सरकार के दिशा-निर्देसों एवं नीतियों के अनुसार वांछित लाभग्राहियों को मिल सके।

20. राज्य विशिष्ट फोकस

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के आउटपुट के कुल मूल्य के अनुपात के आधार पर निधियन सुविधा के अनंतिम राज्य-वार आवंटन तैयार किए गए हैं और **अनुबंध-ग** पर रखे गए हैं।

अनुबंध- क

निगरानी तंत्र

(i) राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति (एनएलएमसी)

<u>संघटनः-</u>

निम्नलिखित एनएलएमसी के सदस्य और अध्यक्ष होंगेः-

क. सचिव (डीएसीएण्डएफडब्ल्यू) (अध्यक्ष)
ख. एमडी एसएफएसी
ग. एमडी एनसीडीसी
घ. विशेष सचिव/अपर सचिव और एफए (डीएसीएण्डएफडब्ल्यू)
ङ. अपर सचिव डीएफसी
च. अपर सचिव (डीएसीएण्डएफडब्ल्यू, भारत सरकार)
छ. अध्यक्ष, नाबार्ड या उनके प्रतिनिधि
ज. प्रधान सचिव-राज्य सरकार के- रोटेशन द्वारा चार राज्य
झ. चार राज्यों के राज्य नोडल अधिकारी (रोटेशन द्वारा)
ञ. संयुक्त सचिव (डीएसीएण्डएफडब्ल्यू) और किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसायटी के सीईओ- सदस्य सचिव

<u>प्रकार्यः</u>

1. राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी समिति (एनएलएमसी) परियोजना के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन और संचालन करेगी। यह परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों को अनुमोदित करेगी।
2. राष्ट्रीय स्तर कार्यान्वयन समिति (एनएलआईसी) परियोजना की जांच करेगी और कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों की संस्तुति करेगी। यह राष्ट्रीय स्तर निगरानी समिति (एनएलएमसी) द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी और उसकी समीक्षा करेगी।

(ii) राज्य स्तरीय निगरानी समिति

<u>संघटनः-</u>

निम्नलिखित एसएलएमसी के सदस्य और अध्यक्ष होंगेः-

क. मुख्य सचिव–अध्यक्ष
ख. कृषि उत्पादन आयुक्त/ प्रधान सचिव, कृषि
ग. प्रधान सचिव (सहकारिता)
घ. सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरएससी)
ङ. मुख्य महाप्रबंधनक (सीजीएम), नाबार्ड
च. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीडीसी
छ. राज्यों द्वारा नामित अधिकारी (तीन से अधिक नहीं).
ज. एसएलबीसी कनवीनर
झ. राज्य नोडल अधिकारी- सदस्य सचिव

<u>**प्रकार्यः-**</u>

1. राज्य स्तर निगरानी समिति राज्य स्तर पर एनआईएमसी दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन करेगी और एनआईएमसी को फीडबैक प्रदान करेगी।
2. यह राज्य में योजना के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन और संचालन भी करेगी।
3. यह डीएलएमसी के साथ परामर्श करके योजना में समावेश हेतु लाभार्थी/परियोजनाओं की चयनित सूची की जांच और अनुमोदन भी करेगी।
4. यह ओओएमएफ प्रपत्र के अनुसार लक्ष्यों का निर्धारण करेगी और नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा भी करेगी।

(iii)**जिला स्तरीय निगरानी समिति**

<u>**संघटनः-**</u>

निम्नलिखित डीएलएमसी के सदस्य और अध्यक्ष होंगेः-

क. जिला कलैक्टर – अध्यक्ष
ख. जिला पंचायत के मुख्य अधिकारी/सीडीओ-उपाध्यक्ष
ग. जिला कृषि अधिकारी
घ. जिला रजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा नामित सहकारी समितियां
ङ. राज्य द्वारा (तीन से अधिक नहीं)
च. डीएलबीसी के प्रमुख जिला प्रबंधक
छ. जिला प्रबंधक नाबार्ड- सदस्य सचिव

<u>**प्रकार्यः-**</u>

1. जिला स्तर निगरानी समिति (डीएलएमसी)- डीएलएमसी समग्र ढांचे में कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र की प्रथम पंक्ति होगी।
2. यह पीएमयू के सहयोग से लाभार्थियों को सहायता देने के लिए परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए और व्यवहार्य परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए लाभार्थियों की पहचान करेगी।
3. यह प्रस्ताव की जांच भी करेगी और विचार करने के लिए एसएलएमसी को भेजेगी।
4. डीएलएमसी ओओएमएफ प्रपत्र के अनुसार एसएलएमसी के परामर्श से लक्ष्य निर्धारित करेगी और पीएमयू की सहायता से प्रगति की गहन निगरानी करेगी।
5. डीएलएमसी पीएमयू के सहयोग से डैशबोर्ड का रख-रखाव करेगी।
6. यह योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी तथा जिला स्तर पर समस्याओं का समाधान करेगी। कार्यान्वयन संबंधित समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया में समिति को यथापेक्षित जिला प्रशासन द्वारा सहायता दी जाएगी।

अनुबंध-ख

ओओएमएफ ढांचा

आउटपुट:

आउटपुट विवरण	आउटपुट संकेतक	लक्ष्य	उपलब्धि
कृषि मूलभूत संरचना के सृजन और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना	पात्र संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की संख्या		
	पात्र परियोजनाओं के लिए निधि का वितरण (करोड़ रू.)		
ब्याज रियायत की राश में वृद्धि और प्रदान किया गया ऋण गारंटी सहयोग	ब्याज रियायत के लिए खर्च की कई राशि (करोड़ रू.)		
	ब्याज रियायत पाने वाली परियोजनाओं की संख्या		
	ब्याज रियायत पाने वाली परियोजनाओं का प्रतिशत (स्कीम के तहत ऋण प्रस्तावित कुल योजना)		
	ऋण गारंटी कवरेज पर खर्च धनराशि (करोड़ रू.)		
	स्कीम के तहत दिए गए कुल ऋण का ऋण गारंटी कवरेज औसत प्रतिशत		

आउटकम:

आउटपुट विवरण	आउटपुट संकेतक	लक्ष्य	उपलब्धि
कृषि मूलभूत अवसंरचना के लिए संसाधन प्रावधान में निवेश	पूर्ण की गई परियोजनाओं के लिए उपयोग की गई निधि का प्रतिशत		
	कृषि मूलभूत अवसंरचना निधि निवेशों के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त निवेश (करोड़ रू.)		
कृषि मूलभूत अवसंरचना क्षमता में बढ़ोतरी	वित्तपोषित मूलभूत अवसंरचना कार्यकलापों के कारण कृषि क्षेत्रमें कुल क्षमता संवर्धन (एमटी)		
	फसलोपरांत हानियों और खाद्य पदार्थों की बरबादी में कमी (%)		

अनुबंध-ग

<u>राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच वित्तीय सुविधा का अनंतिम आवंटन</u>

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय सुविधा की राशि करोड़ में
1	उत्तर प्रदेश	12831
2	राजस्थान	9015
3	महाराष्ट्र	8460
4	मध्य प्रदेश	7440
5	गुजरात	7282
6	पश्चिम बंगाल	7260
7	आंध्र प्रदेश	6540
8	तमिलनाडु	5990
9	पंजाब	4713
10	कर्नाटक	4525
11	बिहार	3980
12	हरियाणा	3900
13	तेलंगाना	3075
14	केरल	2520
15	ओडिशा	2500
16	असम	2050
17	छत्तीसगढ़	1990
18	झारखंड	1445
19	हिमाचल प्रदेश	925
20	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	900
21	उत्तराखंड	785
22	त्रिपुरा	360
23	अरुणाचल प्रदेश	290

24	नागालैंड	230
25	मणिपुर	200
26	मिजोरम	196
27	मेघालय	190
28	गोवा	110
29	दिल्ली	102
30	सिक्किम	56
31	पुडुचेरी	48
32	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	40
33	दमन और दीव	22
34	लक्षद्वीप	11
35	दादरा और नगर हवेली	10
36	चंडीगढ़	9
	कुल	1,00,000